राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

''आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना''

दिशा–निर्देश

अगस्त, 2019

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

"आयुष्मान भारत– आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना "

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना(BSBY) एवं आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के साथ एकीकरण करते हुए एकीकृत योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश

वर्तमान में चल रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकरण करते हुए एकीकृत योजना का नाम **"आयुष्मान भारत– महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना "** रखा गया है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के साथ आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक एंव जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों को भी नवीन योजना में जोड़ा गया है। अब यह योजना **"आयुष्मान भारत– महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना "** के नाम से जानी जाएगी। योजना के दिशा–निर्देश एंव कार्य प्रणाली पूर्व की भाँति ही रहेगी, अन्तर केवल यह होगा कि योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनसंख्या के आधार पर आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी परिवारों को भी योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध निजी एंव सरकारी अस्पतालों द्वारा निःशुल्क इलाज प्रदान करना होगा।

वर्तमान में चल रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का द्वितीय चरण दिनांक 13.12.2017 से प्रारम्भ हुआ था, जिसका दो वर्ष का समय 12.12.2019 को समाप्त हो रहा है। अतः **"आयुष्मान भारत– महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना "** के संचालन की प्रक्रिया दिनांक 12.12.2019 तक निम्न लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार रहेगीः

1. आयुष्मान भारत– महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्रताः–

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित परिवार।

ii. सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना(AB-PMJAY) के पात्र लाभार्थी परिवार।

2. योजना कवर

- **योजना** के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2019 तक पूर्व की भाँति दोनों प्रकार के लाभार्थी परिवारों को साधारण बीमारियों हेतु 30 हजार रुपये तथा गम्भीर बीमारियों हेतु 3 लाख रुपये तक बीमा करवेज उपलब्ध रहेगा।
- **यदि कोई परिवार दोनों योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी पाया जाता है, तब भी उस परिवार को साधारण बीमारियों हेतु 30 हजार रुपये का तथा गम्भीर बीमारियों हेतु 3 लाख रुपये तक बीमा कवरेज NFSA में उपलब्ध होगा।**
- **यह बीमा कवरेज एक वर्ष की अवधि अर्थात् 13.12.2018 से 12.12.2019 तक के लिए उपलब्ध है, अर्थात् जिन परिवारों में पूर्व में ईलाज के लिए जितनी राशि का उपयोग कर लिया है, उतनी राशि उनके वॉलट में से कम हो गयी है तथा शेष बची राशि का ही 12.12.2019 तक उपयोग किया जा सकेगा।**

3. सम्बद्ध अस्पताल

- भामाशाह स्वास्थ्य **बीमा** योजना के अन्तर्गत वर्तमान में सम्बद्ध सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल नवीन योजना में स्वतः ही 12 दिसम्बर 2019 तक सम्बद्ध माने जायेगें एंव NFSA तथा SECC दोनों प्रकार के लाभार्थियों को इलाज दे सकेगें।
- 13 दिसम्बर 2019 से संचालित होने वाले नये चरण के लिए अलग से सम्बद्ध किया जायेगा।

4. पैकेज

- नवीन योजना में दोनों प्रकार के लाभार्थी परिवारो को वर्तमान योजना BSBY में चल रहे 1401 पैकेजेज समान दरों पर ही उपलब्ध रहेगें।

5. अस्पतालों को क्लेमस का पुर्नःभरण

अस्पतालों द्वारा सबमिट किये गये क्लेमस का परीक्षण एंव स्वीकृति निम्नानुसार होगीः–

- जो परिवार NFSA में आते है, (चाहे उनके सदस्य SECC में आते है, अथवा नहीं) उनका बीमा प्रीमियम बीमा कम्पनी को दिया गया है, उनका प्री– ऑथ अप्रूवल एवं क्लेम प्रोसेसिंग पूर्व की भांति बीमा कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा।
- जो परिवार SECC में आते है, परन्तु NFSA में नहीं आते हैं इनका भुगतान RSHAA के स्तर से किया जायेगा।

6. परिवार की पात्रता की पहचान

दोनों प्रकार के लाभार्थी परिवारों की पहचान भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) के माध्यम से ही किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी परिवारों को जन आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करना होगा, तथा उनके भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) पर SECC का हॉउस होल्ड नम्बर सीड़ कराना होगा, ताकि भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) के माध्यम से लाभार्थी परिवार की पहचान हो सके तथा समस्त लाभार्थी परिवारों का वॉलेट भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) पर ही संधारित किया जा सके।

परिवार की पात्रता की पहचान निम्न तीन प्रकार से की जा सकेगीः–

1. भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) की संख्या से

भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) की संख्या योजना के सॉफ्टवेयर में डालने पर परिवार की स्थिति निम्न चार प्रकार की हो सकती हैः–

i. **परिवार केवल NFSA के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी हैं, SECC का लाभार्थी नहीं है।**

- लाभार्थी परिवार की पहचान परिवार की मुखिया के **जन आधार कार्ड** के माध्यम से ही की जानी है। सॉफ्टवेयर में **जन आधार कार्ड** नम्बर डालने पर यदि परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत पात्रता रखता है, तो परिवार का विवरण नीचे प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्हित किया जाना है। जैसा की पूर्व में होता था।

ii. **परिवार NFSA एंव SECC दोनों के लिए पात्र लाभार्थी हैं।**

- सॉफ्टवेयर में **जन आधार कार्ड** नम्बर डालने पर यदि परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA/SECC अथवा दोनों) के तहत पात्रता रखता है तो परिवार NFSA में ही प्रदर्शित होगा एवं परिवार का विवरण नीचे प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्हित किया जाना है।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में पूर्व से ही लाभार्थी परिवार के **भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड)** में यदि AB-PMJAY में उसी परिवार के वर्णित अतिरिक्त व्यक्ति का नाम जुड़वाना हो, तो इस स्थिति में ई–मित्र केन्द्र पर नाम जुड़वाना होगा।

iii. **परिवार केवल SECC में पात्र लाभार्थी है, NSFA का लाभार्थी नहीं है।**

- यदि परिवार SECC के तहत पात्रता रखता है तो सॉफ्टवेयर में **जन आधार कार्ड** का नम्बर डालने पर परिवार SECC में ही चिन्हित होगा एवं परिवार का विवरण नीचे प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्हित किया जाना है।

iv. **परिवार उपरोक्त में से किसी में भी पात्र लाभार्थी नहीं हैं।**

- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर में लाभार्थी परिवार की मुखिया का भामाशाह कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड की पावती रसीद (Bhamashah Enrolment ID) का नम्बर डालने पर परिवार NFSA/SECC का लाभार्थी नहीं पाया जाता है, तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उस परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान नहीं किया जा सकेगा।

2. SECC के हॉउस होल्ड नम्बर से

- यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत करता है एंव उसके पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो योजना के सॉफ्टवेयर में **SECC का हॉउस होल्ड नम्बर** डालने पर भी **SECC** के पात्र लाभार्थी परिवारों की पहचान की जा सकती है, परन्तु **SECC का हॉउस होल्ड नम्बर** डालने पर उन्हीं परिवारों की सूची प्रर्दशित होगी, जिन्होनें पूर्व में अपने **जन आधार कार्ड पर SECC का हॉउस होल्ड नम्बर सीड करा रखा है।**
- **SECC का हॉउस होल्ड नम्बर से पहचान नहीं होती है तो,** उसे नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार कार्ड बनवाने एंव पत्र में लिखे हाउस होल्ड संख्या को जन आधार कार्ड पर सीड कराने की सलाह दी जानी चाहिए। जन आधार कार्ड की पावती रसीद से भी लाभार्थी की पहचान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

3. आधार कार्ड से

परिवार ने **भामाशाह कार्ड बनवाते समय परिवार के जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड के** नम्बर सीड करा रखे है, उनके **आधार कार्ड** के नम्बर **को** सॉफ्टवेयर में डालने पर लाभार्थी परिवार की पहचान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

7. **सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी परिवार की पहचान नहीं होने पर** निम्न स्थितियां हो सकती है

i. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार परन्तु उन्होनें अपना राशन कार्ड जन आधार कार्ड से लिंक नही कराया हैं:** ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जानी चाहिए कि वो अपना राशन कार्ड किसी भी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार कार्ड से लिंक करवाले।

ii. **<u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित परिवार आयुष्मान भारत योजना के भी पात्र परिवार हैः</u>** ऐसे परिवारों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें भारत सरकार का पत्र प्राप्त हुआ हैं तो, वो अपने जन आधार कार्ड पर SECC का हाउस होल्ड संख्या भी अंकित करवा ले। इसके लिए अपना जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या एंव आयुष्मान योजना का पत्र लेकर किसी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर भामाशाह कार्ड से आयुष्मान भारत के पत्र में वर्णित हाउस होल्ड संख्या सीड करा लेवें।

iii. **<u>ऐसे परिवार, जो आयुष्मान भारत योजना के पात्र परिवार हैं, तथा जिनका जन आधार कार्ड बना हुआ हैः</u>** ऐसे परिवारों को सलाह दी जाती है कि आयुष्मान भारत का पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों कें आधार कार्ड लेकर नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आयुष्मान भारत के पत्र में वर्णित हाउस होल्ड संख्या को लिंक करवा ले। ई– मित्र केन्द्र से नया जन आधार कार्ड प्राप्त करें।

iv. **<u>ऐसे परिवार जो आयुष्मान योजना के पात्र परिवार है, परन्तु उनका जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं हैः</u>** योजना लाभ लेने के लिए ऐसे परिवारों की पहचान भी जन आधार कार्ड के माध्यम से होगी अतः ऐसे परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पहले जन आधार कार्ड बनवाना होगा। ऐसे परिवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर अपना जन आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें। इसके लिए निम्नांकित दस्तावेजों की आवश्यकता होगीः–

   i. परिवार का राशन कार्ड।
   ii. परिवार की महिला मुखिया एंव सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
   iii. राजस्थान राज्य का निवासी होने का दस्तावेज।
   iv. निवास स्थान के पते का प्रमाण।
   v. आयुष्मान भारत योजना का भारत सरकार द्वारा लिखा गया पत्र।
   vi. परिवार की महिला मुखिया का बैंक खाता संख्या। (बैंक की पास बुक अथवा चेक की प्रति)

8. अन्य प्रावधान

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश समान रूप से इस योजना पर भी लागू माने जायेगें।

9. **किसी परिवार का** आयुष्मान भारत के पत्र में वर्णित हाउस होल्ड संख्या (SECC NO.) सर्च करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं:

Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication

किसी परिवार का SECC No. सर्च करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाये:

1. अपने वेब ब्राउज़र पर https://www.pmjay.gov.in/ वेबसाइट ओपन करे |
2. "AM I Eligible" पर क्लिक करे और आगे मांगी गयी सूचनाओ को भरे

3. भरी गयी सूचनाओ के आधार पर वेबसाइट से SECC No. सर्च किया जा सकता है |

4.टोल फ्री नम्बर 14555/1800111565 सम्पर्क करके मालूम किया जा सकता है।